न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी : डॉ. बजरंग सिंह, आर.ए.एस.

रसद विविध :: 133/2022

जी.सी.एम.एस.नम्बर : 2022/267

प्रार्थीः—	बनाम	अप्रार्थीः—
सरकार जरिये प्रवर्तन निरीक्षक पाली		1. सुरेश नायक पुत्र श्री जेठाराम, निवासी ग्राम भालेलाव, तहसील पाली 2. हिरालाल पुत्र श्री नारायणलाल, निवासी नया गावं पाली हाल हॉकर, मै. पाली गैस सर्विस पाली 3. ताराचंद पुत्र चुन्नीलाल (प्रोपराईटर) मैसर्स पाली गैस सर्विस पाली

"प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6(ए) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955"

उपस्थित :—

1. प्रार्थी स्वयं उपस्थित।
2. अप्रार्थी संख्या 1 उपस्थित।

—: निर्णय :—

दिनांकः— 30.06.2025

प्रार्थी द्वारा यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत प्रस्तुत कर अप्रार्थी द्वारा घरेलु गैस सिलेण्डरों को अवैध रूप से व्यवसायिक उपयोग संग्रहण एवं भण्डारण कर द्रवित पेट्रोलियम गैस (प्रदाय, वितरण एवं विनियमन आदेश, 2000 के क्लॉज 3ए,सी की अवहेलना कर आवश्यक वस्तु अधिनियम 1995 की धारा 3/7 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध करने से जब्तसुदा 13 घरेलु सिलेण्डरो एवं टैम्पो संख्या आरजे 19 जीडी 7964 को राज्यसात करने हेतु प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

प्रार्थी ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र में वर्णित कथनो को दौहराते हुए कथन किया कि दिनांक 15.02.2020 को दुरभाष पर शिकायत मिली की पाली के नवलखा रोड क्षैत्र में घरेलु गैस सिलेण्डरों की आपुर्ति में कम वजन की गैस सप्लाई की जा रही है जिस पर मन प्रवर्तन निरीक्षक पाली श्री जितेन्द्र आशिया हमराह कृष्णा कंवर भाटी प्रवर्तन निरीक्षक जाचं हेतु पहुंचे। मौका स्थल पर पहुंचने पर ज्ञात हुआ की टेम्पो चालक फरार हो गया है तथा टेम्पों संख्या आरजे 19 जीडी 7964 मय गैस सिलेण्डर पुलिस थाना कोतवाली ले जा चुकें है, पुलिस थाने पर जाकर जाचं करने पर ज्ञात हुआ कि टेम्पों पर किसी भी गैस एजेन्सी का नाम नहीं लिखा हुआ है तथा टेम्पों में आईओसीएल कम्पनी के 13 घरेलु गैस सिलेण्डर भरे हुये है। जिनमें से 7 भरे हुए व 6 खाली सिलेण्डर थें। मौके पर रूबरू मौतबिरान हेमन्त पुत्र परमाराम निवासी 189, प्रताप नगर पाली एवं राकेश पालरेचा पुत्र बाबुलाल पालरेचा निवासी पाली शहर की उपस्थिति में

अति. जिला कलेक्टर पाली

की उपस्थिति में तौल करवाकर पृथक से फर्द तलपट्टी बनवायी, जिनमें औसतन 2–3 किलोग्राम तक गैस की मात्रा कम पायी गयी। मौके पर टैम्पों मे कुछ पुराने बिल थे, जो अलग–अलग गैस एजेन्सी क्रमशः विनायक इण्डेन गैस एजेन्सी व बी.के. एन्टरप्राईजेज पाली के थे, जिनसे दुरभाष पर सम्पर्क करने पर बताया कि उक्त टैम्पों उनकी एजेन्सी पर कार्य नही करता है। मौके पर टैम्पो खलासी सुरेश पुत्र जेठाराम निवासी ग्राम भालेलाव तहसील पाली उपस्थित हुआ जिससे पुछने पर बताया कि टैम्पों नारायण पुत्र हेमाराम चला रहा था, जिससे सम्पर्क नहीं हो पाने पर सुरेश कुमार ने बताया कि टैम्पों की टंकिया उसने नया गावं पाली निवासी हिरालाल पुत्र नारायणलाल के यहां से उसके कहने पर ली थी। इस पर हिरालाल से सम्पर्क करने पर हिरालाल ने बताया कि उसने नारायणलाल व सुरेश को टैम्पो के साथ 14 गैस सिलेण्डर (10 भरे हुए व 4 खाली सिलेण्डर) दिये थे, जिसके संबध में दस्तावेज एवं सप्लाई के बारे में पुछने पर संतोषप्रद जवाब नहीं दिया। मौके पर मैसर्स पाली गैस सर्विस पाली के प्रोपराईटर ताराचंद पुत्र चुन्नीलाल मीणा को भी जिन्होने अवगत कराया कि हिरालाल उनके यहा कर्मचारी है प्रकरण में जब्त गैस सिलेण्डर उनकी फर्म द्वारा नहीं दिये गये है। मौके पर मैसर्स रूचिता गैस एजेन्सी, पाली के प्रतिनिधी द्वारा हैंगिग स्केल से तौल करवाने पर निम्न सारणी–1 के अनुसार स्थिति पाई गई :–

सारणी–1

(वजन Kg.मे)

क्र. सं.	नाम	कम्पनी	सिलेण्डर पर एलपीजी उपदर्शित मानक भार/क्षमता	भरे हुये सिलेण्डर का वजन	खाली सिलेण्डर का वजन	शुद्ध गैस का वजन	सिलेण्डर नम्बर
1	घरेलू गैस सिलेण्डर	Indane	14.200	27.100	15.200	11.900	428236 B
2	घरेलू गैस सिलेण्डर	Indane	14.200	28.000	16.500	11.500	274978
3	घरेलू गैस सिलेण्डर	Indane	14.200	28.200	16.300	11.900	256484
4	घरेलू गैस सिलेण्डर	Indane	14.200	27.100	15.500	11.600	436626
5	घरेलू गैस सिलेण्डर	Indane	14.200	27.000	16.000	11.000	042077
6	घरेलू गैस सिलेण्डर	Indane	14.200	29.600	15.400	14.200	424352
7	घरेलू गैस सिलेण्डर	Indane	14.200	17.000	17.000	–	792386
8	घरेलू गैस सिलेण्डर	Indane	14.200	15.700	15.700	–	494251
9	घरेलू गैस सिलेण्डर	Indane	14.200	16.100	16.100	–	999349
10	घरेलू गैस सिलेण्डर	Indane	14.200	15.800	15.800	–	473467
11	घरेलू गैस सिलेण्डर	Indane	14.200	15.600	15.600	–	756696
12	घरेलू गैस सिलेण्डर	Indane	14.200	15.700	15.700	–	272247
13	घरेलू गैस सिलेण्डर	Indane	14.200	29.600	15.600	–	150807
01 Tempo (RJ 19 GD 7964)							

इस प्रकार उपरोक्तानुसार सारणी–1 में वर्णित गैस सिलेण्डर व टैम्पों को जब्त कर वजह सबूत कब्जे में लेकर अग्रिम आदेश तक सुरक्षित रखने हेतु रूचिता गैस एजेन्सी पाली के मैनेजर राकेश पालरेचा पुत्र बाबुलाल को सुपुर्द किया गया एवं टैम्पों

अति. जिला कलेक्टर, पाली

पुलिस थाना कोतवाली के उपनिरीक्षक अयुब खान को सुपुर्द किया गया। उपरोक्त कार्यवाही के मौके पर उपलब्ध मोबाईल फोन से फोटोग्राफ्स लिये गये जो वजह सबूत पत्रावली संलग्न है व निरीक्षण पर्चा मय फर्द अभिग्रहण एवं सुपुर्दगीनामा अलग से तैयार किया गया। इस प्रकार अप्रार्थी द्वारा उपरोक्त घरेलु गैस सलेण्डरों का अवैध भण्डारण एवं व्यावसायिक उपयोग में लेना आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 के अन्तर्गत जारी आदेश द्रवित पेट्रोलियम गैस (प्रदाय, वितरण एवं विनियमन) आदेश, 2000 के क्लोज 3ए, सी के उपबन्धों की अवहेलना की है, जो कि आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3/7 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है। प्रकरण में जब्त टेम्पों इस न्यायालय द्वारा छोड दिया जाने से जब्तसुदा 13 घरेलू गैस सिलेण्डरों (14.2 किग्रा) इण्डेन कम्पनी को राज्यसात (Confiscate) करने के आदेश प्रदान करावे।

अप्रार्थी संख्या 1 ने वक्त बहस कथन किया कि वह केवल गैस सिलेण्डरों की सप्लाई का कार्य करता है। गोदाम से जिस अवस्था में सिलेण्डर भरवाये जाते है उसी अवस्था में उन्हें सम्बन्धित को सप्लाई कर दी जाती है। अप्रार्थी द्वारा सिलेण्डरों के साथ कोई छेड–छाड़ नहीं की जाती हैं, प्रकरण में अप्रार्थी की कोई गलती नहीं है, फिर भी भविष्य में उनके द्वारा सावधानी बरती जायेगी।

हमने श्रवणसुदा बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। प्रार्थी को नवलखा रोड क्षेत्र, पाली में कम वजनी गैस सिलेण्डरों की आपूर्ति की शिकायत मिलने पर प्रार्थी मौके पर गये तो पता चला कि टेम्पों चालक अपने टेम्पों में घरेलू गैस सिलेण्डर भर कर आपूर्ति से कम वजनी गैस सिलेण्डरों की सप्लाई कर रहा था, जो मौके से फरार हो गया और उक्त टैम्पों मय गैस सिलेण्डर पुलिस थाना कोतवाली में खड़ा है, जिस पर प्रार्थी पुलिस थाना कोतवाली पाली पहुंचे। जहां पर प्रार्थी एवं मौके पर रूबरू मौतबिरान हेमन्त पुत्र परमाराम, निवासी 189, प्रताप नगर, पाली एवं राकेश पालरेचा पुत्र बाबुलाल मैनेजर रूचिता गैस सर्विस, पाली की उपस्थिति में जब्तशुदा गैस सिलेण्डरों का वजन करने पर गैस सिलेण्डरों में औसतन 2–3 किलोग्राम तक गैस की मात्रा कम पायी गयी। मौके पर टैम्पों मे कुछ पुराने बिल वर्ष 2020 के अलग–अलग गैस एजेन्सी जैसे विनायक इण्डेन गैस एजेन्सी व बी.के. एन्अरप्राईजेज पाली के थे। उक्त गैस सिलेण्डरों के बारे में अप्रार्थी ने कोई सन्तोषप्रद जवाब नहीं दिया और न ही इसके सम्बन्ध में कोई दस्तावेज प्रस्तुत किये, जिसकी ताईद प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निरीक्षण पर्चा से होती है।

इसके अतिरिक्त प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत मौकाफर्द के अवलोकन से भी यह जाहिर होता है कि अप्रार्थी द्वारा आपूर्ति से कम वजनी गैस सिलेण्डरों का आमजन को विक्रय किया जा रहा था, साथ ही अप्रार्थी के पास उक्त गैस सिलेण्डरों को वितरण/विक्रय किये जाने का प्राधिकार पत्र भी नहीं पाया गया, जिस पर प्रार्थी द्वारा उक्त घरेलू गैस सिलेण्डरों का हैगिंग स्केल द्वारा तौल किया एवं गैस सिलेण्डर कब्जे में लेकर मैसर्स रूचिता गैस एजेन्सी पाली को सुपुर्द किया। प्रार्थी द्वारा उपरोक्त समस्त कार्यवाही मौके पर द्रवित गैस, पेट्रोलियम गैस (प्रदाय, वितरण एवं विनियमन) आदेश, 2000 के तहत की है, जिससे यह स्पष्ट है कि अप्रार्थी द्वारा द्रवित पेट्रोलियम गैस (प्रदाय, वितरण एवं विनियमन) आदेश, 2000 के उपबन्धों 5 व 6 की स्पष्टरूप से अवहेलना की है। लिहाजा

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर पाली (राज.)

अति. जिला कलेक्टर पाली

उक्त जब्तसुदा घरेलु गैस सिलेण्डर को राज्यसात (Confiscate) किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता हैं।

परिणामस्वरुप प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा अप्रार्थी संख्या 01 से मौके पर जब्तशुदा उपरोक्त सारणी–1 में वर्णित घरेलू गैस सिलेण्डरों का अवैध रूप से वितरण/विनिमय/विक्रय एवं मानक भार से कम गैस सिलेण्डरों के वितरण करने के कारण जब्तसुदा घरेलु गैस सिलेण्डर (14.2 किग्रा) के अवैध भण्डारण एवं उपयोग कर द्रवित पेट्रोलियम गैस (प्रदाय, वितरण एवं विनियमन) आदेश, 2000 के क्लोज 05 व 6 के उपबन्धों की अवहेलना किये जाने से उक्त 13 गैस सिलेण्डरों को मय गैस राज्यसात (Confiscate) किया जाता हैं। निर्णय की सत्यप्रति जिला रसद अधिकारी, पाली को प्रेषित कर आदेशित किया जाता है कि जब्त सुदा घरेलु गैस सिलेण्डरों को मय गैस सुपुर्ददार से प्राप्त कर राज्य सरकार के परिपत्र क्रमांक F 86(8)खा.ले./नीति/6ए/2020 जयपुर दिनाँक 19.08.2000 एवं उसकी पालना में खाद्य एवं नागरिक रसद विभाग द्वारा जारी पत्रांक F04{23} खा.ले/नीति/6A/89 जयपुर दिनाँक 16.11.1999 के अनुरूप ही जब्तसुदा गैस सिलेण्डरों के निस्तारण की कार्यवाही की जावे।

निर्णय आज दिनांक 30.06.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. बजरंग सिंह)
अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली
अति. जिला कलेक्टर, पाली